माननीय न्यायाधीश तरुण अग्रवाल

संदर्भ-लिखित याचिका संख्या 284/2004 (एस/बी)

हमारी राय आपके विचार और अनुमोदन के लिए भेजी जा रही है।

(धरम वीर, न्यायाधीश) (प्रफुल्ल सी. पंत, न्यायाधीश) 08.10.2010

आरक्षित निर्णय

उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल

रिट याचिका संख्या 284/2004 (एस/बी)

मदन मोहन चौधरी पुत्र स्वर्गीय श्री ए. एन. चौधरी वर्तमान में परीक्षण और नियंत्रण प्रभाग (सिंचाई) जोशीयारा, जिला उत्तरकाशी में ड्रिलर ग्रेड-I के रूप में तैनात हैं।

..

याचिकाकर्ता

बनाम

1. सचिव सिंचाई विभाग उत्तराँचल शासन, देहरादून के माध्यम से उत्तराँचल राज्य।

2. प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के माध्यम से यूपी राज्य।3. मुख्य अभियंता (विभाग प्रमुख) सिंचाई, उत्तरांचल, देहरादून।4.प्रमुख अभियंता, सिंचाई, उ.प्र. लखनऊ.

5. अधिशासी अभियंता, परीक्षण और नियंत्रण प्रभाग (सिंचाई), जोशीयारा, जिला उत्तरकाशी।

प्रतिवादी

रिट याचिकाकर्ता की ओर से श्री मनोज तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री आलोक मेहरा, अधिवक्ता उपस्थित रहे।श्री एस.एन. बाबुलकर, महाधिवक्ता, के साथ श्री बी.डी. उपाध्याय, अपर. महाधिवक्ता, उत्तराखंड राज्य/प्रतिवादी संख्या 1, 3 और 5 की ओर से उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थायी वकील श्रीमती बीना पांडे, उत्तरदाताओं संख्या 2 और 4 की ओर से उपस्थित हुईं।

प्रतिःमाननीय न्यायाधीश प्रफुल्ल सी. पंत, (माननीय प्रफुल्ल सी. पंत, न्यायाधीश और माननीय धरम वीर, न्यायाधीश की ओर से)

इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने 2004 की रिट याचिका संख्या 284 (एस/बी) में मदन मोहन चौधरी बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य ने माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित बड़ी पीठ को निम्नलिखित प्रश्न भेजा हैः

क्या 1 जुलाई 1989 का सरकारी आदेश, जो खण्ड पीठ के निर्णय में निर्दिष्ट किया गया है (रिट याचिका संख्या 843 (एस /एस) 2003 से उत्पन्न हुई 2008 की विशेष अपील संख्या 225 में, यू. पी. राज्य और अन्य बनाम पीतांबर दत्त सांवाल,) कार्य-प्रभारी कर्मचारियों पर लागू होता है या नहीं?

2) रिट याचिका संख्या 843 (एस/एस) 2003, पीताम्बर दत्त सनवाल बनाम यूपी राज्य और अन्य मामले में अदालत द्वारा 24.07.2008 को निर्णय दिया गया कि उक्त मामले के रिट याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश राज्य के सिंचाई विभाग के तहत जमरानी बांध परियोजना में 04.10.1977 को वर्क-चार्ज के आधार पर चालक के रूप में नियुक्त किया गया था।उन्होंने 27.05.1995 तक अपनी सेवाएँ प्रदान कीं, जिसके बाद उन्हें नियमित किया गया और नियमित स्थापना के तहत लाया गया।वे सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद 31.05.2000 को सेवानिवृत्त हुए।उन्होंने 2003 की रिट याचिका संख्या 843 (एस/एस) दायर की, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 अधिशासी अभियंता, बान सागर नाहर, निर्माण खंड-6, मिर्जापुर को भविष्य निधि, बीमा, पेंशन और ब्याज के साथ अन्य पेंशन लाभों की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।इस अदालत के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 2004 के विशेष अपील संख्या 93, उत्तर प्रदेश राज्य में इंजीनियर-इन-चीफ, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ और एक अन्य बनाम आनंद सिंह के माध्यम द्वारा पारित किए गए अपने फैसले और दिनांक 24.07.2008 के आदेश के अनुसार, 03.03.2006 के फैसले और आदेश का पालन किया और रिट याचिका को स्वीकार कर रिट याचिका के प्रतिवादी संख्या 2 को पेंशन लाभ जारी करने का निर्देश दिया।उक्त निर्णय और आदेश दिनांक 24.07.2008 से व्यथित होकर, यूपी राज्य के सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने 2008 की विशेष अपील संख्या 225 दायर की।

इस अदालत की एक खंडपीठ ने अपने दिनांक 27.04.2010 के आदेश के तहत उक्त अपील पर निर्णय लिया, जिसके तहत उसने यह कहते हुए अपील खारिज कर दी कि यूपी राज्य द्वारा जारी दिनांक 01.07.1989 का सरकारी आदेश उक्त मामले के रिट याचिकाकर्ता (पीतांबर दत्त सनवाल) पर लागू होगा, क्योंकि उन्होंने अस्थायी आधार पर दस साल की सेवा प्रदान की थी।अपीलार्थियों का यह तर्क कि मात्र 27.05.1995 (नियमित करने की तारीख) से 31.05.2000 (सेवानिवृत्ति की तारीख) तक की अवधि को नियमित सेवा (जो दस साल से कम थी) माना जाना था, इस अदालत की खण्ड पीठ द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।जब 2008 की विशेष अपील संख्या 225 में पारित किए गए उक्त निर्णय और आदेश को वर्तमान रिट याचिकाकर्ता मदन मोहन चौधरी द्वारा 2004 की रिट याचिका संख्या 284 (एस/बी) में खण्ड पीठ के समक्ष भेजा गया था, तो रिट याचिका पर सुनवाई करने वाली खण्ड पीठ ने महसूस किया कि वह उपरोक्त फैसले का पालन करने की स्थिति में नहीं है, और ऊपर उद्धृत प्रश्न का उत्तर देने के लिए मामले को बड़ी पीठ को भेज दिया।

3) चूंकि इस प्रश्न के उत्तर में 1 जुलाई 1989 के सरकारी आदेश की व्याख्या शामिल है, इसलिए हम सरकारी आदेश को उद्धृत करना उचित समझते हैं।वही नीचे पढ़ा गया हैः

"उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग -3

सं0:सा0–3–1152/दस -915/89

लखनऊ:दिनांक 1 जुलाई, 1989

कार्यालय ज्ञाप विषय:

अस्थायी सरकारी सेवकों की सेवा निवृत्ति/मृत्यु पर पेन्शनरी लाभों की अनुमन्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का र्निदेश हुआ है कि सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 368 की व्यवस्था के अनुसार राज्य सरकार के अर्न्तगत की गयी सेवा पेंशन हेतु तब तक अर्ह नही मानी जाती है जब तक कि सरकारी सेवक किसी पद पर स्थायी न हो गया हो। सरकारी सेवकों के यथा समय स्थायीकरण किये जाने हेतु शासन के विद्यमान आदेशों के बावजूद कुछ मामलों में प्रक्रिया सम्बन्धी अपेक्षायें पूरी न हो पाने के कारण सम्बन्धित कर्मचारी स्थायी हुए बिना ही अधिवर्षता पर सेवा निवृत्त हो जाते है जिससे उन्हे पेन्शनीय लाभ, अनुमन्य नहीं हो पाते है।

2 – उपरोक्तानुसार अस्थायी रहते हुए सेवा निवृत्त हो जाने के कारण सरकारी सेवकों को होने वाली कठिनाइयों को दूर किये जाने का प्रश्न काफी समय से शासन के विचाराधीन रहा है और सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान किये है कि ऐसे सरकारी सेवकों को जिन्होनें कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हों, अधिवर्षता पर सेवा निवृत्त होने अथवा सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा करने हेतु पूर्णतया अक्षम घोषित कर दिये जाने पर अधिवर्षता/अशक्तता पेंशन सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पारिवारिक पेंशन उसी प्रकार स्वयं उन्ही दरो पर देय होगी जैसी कि स्थायी कर्मचारियों को उन्ही परिस्थितियों में संगत नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य होती है।

3— यह व्यवस्था उन मामलों में भी लागू होगी जहां अस्थायी रहते हुए 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने, जो भी पहले हो के उपरान्त मूल नियम 56 के अन्तर्गत स्वेच्छया सेवा निवृत्त होने की अनुमति प्रदान की गयी हो।

4 – यह आदेश 1–6-89 से लागू माने जायेंगे। उक्त दिनांक से पूर्व अस्थायी रहते हुए अधिवर्षता/अशक्तता पर अथवा स्वेच्छया सेवा, निवृत्त हो चुके ऐसे कर्मचारियों के मामलों में जो उक्त दिनांक को जीवित हो, संगत व्यवस्थाओं के अन्तर्गत मिल चुकी ग्रेच्युटी, यदि कोई हो, का कोई पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा। जिन मामलों में संयत नियमों के अन्तर्गत, कोई ग्रेच्युटी अनुमन्य नही थी उनमें इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत कोई ग्रेच्युटी अनुमन्य नहीं होगी। ऐसे सरकारी सेवकों को जो अस्थायी रहते हुए दिनांक:

1-6-89 से सेवा निवृत्त हो चुके थे और जिन्हें उसके कारण कोई पेंशन अनुमन्य नहीं हुई थी, दिनांक 1 – 6 – 89 से सेवा निवृत्ति के पूर्व सेता की अन्तिम दस मास की औसत परिलब्धियों (दिनांक 1-1-86 के पूर्व सेवा निवृत्त कर्मचारियों के मामले में औसत परिलब्धियों का आशय उस वेतन से है जो उन्हें मूल वेतन 9 (21) के अन्तर्गत मिल रहा था तथा 1-1-86 अथवा उसके उपरान्त के मामलों में परिलब्धियों का आशय उस वेतन से है जो मूल नियम 9 (21) (1) में परिभाषित है) के 50% की दर से उस दशा में पेशन अनुमन्य होगी जब सेवा निवृत्ति के पूर्व उन्होनें 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो। यदि अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम रही हो तो पेंशन उसी अनुपात में कम हो जायेगी। इस प्रकार आगणित ऐसे कर्मचारियों की पेंशनों को जो दिनांक 1-1-86 के पूर्व सेवा निवृत्त हो चुके थे वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः सा-4-1120/दस-87-301/1987 दिनांक 28-7-87 के रेडिरिकनरी भाग –1 एवं भाग -2 जैसी स्थिति हो के अनुसार 608 मूल्य सूचकांक के बराबर मंहगाई राहत का लाभ देते हुए पुनरीक्षित कर दिया जायेगा और दिनांक 1–6-89 से पुनरीक्षित धनराशि का लाभ दिया जायेगा।

5 – इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत पेंशन का किसी ऐसे कर्मचारी को राशिकरण अनुमन्य नहीं होगा जो 31-5-1974 अथवा उसके पूर्व सेवा निवृत्त हुआ हो । यदि इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत किसी ऐसे कर्मचारी को पेंशन दी जाये जो 31-5-1974 के उपरान्त सेवा निवृत्त हुआ हो तो उसे 1–6-89 के उपरान्त अगली जन्मतिथि के समय उसकी पेंशन से कम की गयी धनराशि उसकी वास्तविक सेवा निवृत्त के दिनांक के 15 वर्ष के बाद रेस्टोर कर दी जोयेगी ।

6 – दिनांक 1–6–1989 अथवा उसके बाद सेवा निवृत्ति/मृत्यु के जिन मामलों में उपर्युक्त व्यवस्था का लाभ दिया जायेगा, उनमें कार्मिक अनुभाग -1 के शासनादेश संख्या 19-8-1980 कार्मिक- 1 दिनांक 29–4-80 के अन्तर्गत आनुतोषिक लाभ नहीं होगा । ह ०/विजय कृष्ण सक्सेना प्रमुख सचिव । ”

4) ऊपर उद्धृत सरकारी आदेश के पैरा 1 की भाषा यह स्पष्ट करती है कि सरकारी आदेश सिविल सेवा विनियम के अनुच्छेद 368 को स्पष्ट करने के लिए जारी किया जा रहा है।इस मामले के प्रयोजनों के लिए हम विशेष रूप से चिंतित हैं कि ऊपर उद्धृत सरकारी आदेश के पैरा 2 में क्या निहित है, जिसमें यह प्रावधान है कि न्यूनतम दस साल की नियमित सेवा के पूरा होने पर, सेवानिवृत्ति पर, एक अस्थायी कर्मचारी स्थायी कर्मचारी को देय ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन आदि सहित पेंशन लाभों का हकदार होगा।

5) अग्रेतर की चर्चा से पहले हम यहाँ सिविल सेवा विनियमों (संक्षिप्त सी. एस. आर. के लिए) के अनुच्छेद 358 (ए) को उद्धृत करना उचित समझते हैं, जो निम्नानुसार हैः

"358.(क) क्षतिपूर्ति उपदान को छोड़कर, किसी अधिकारी की सेवा उच्चतर और निम्न सेवाओं के मामले में तब तक योग्य नहीं होती जब तक कि वह बीस साल की सेवा पूरी नहीं कर लेता।

सीएसआर का अनुच्छेद 361 निम्नानुसार प्रदान करता हैः

"361.एक अधिकारी की सेवा तब तक पेंशन के लिए योग्य नहीं है जब तक कि यह निम्नलिखित तीन शर्तों के अनुरूप न होः

सबसे पहले सेवा सरकार के अधीन होनी चाहिए।दूसरा-रोजगार पर्याप्त होना चाहिए

और स्थायी।

तीसरा-सेवा का भुगतान सरकार द्वारा किया जाना चाहिए [इन तीन शर्तों को निम्नलिखित अनुभाग में पूरी तरह से समझाया गया है।]"

सीएसआर के अनुच्छेद 361 में दर्शाई गई शर्त को निम्नलिखित अनुच्छेदों में समझाया गया है:

अनुच्छेद 362 से 367 सीएसआर के अनुच्छेद 361 की शर्त संख्या 1 को स्पष्ट करता है। इसी तरह, सीएसआर का अनुच्छेद 368 से 384 अनुच्छेद 361 की दूसरी शर्त को स्पष्ट करता है और अनुच्छेद 385 से 394 सीएसआर के अनुच्छेद 361 की शर्त संख्या 3 से संबंधित है।

अगला प्रासंगिक प्रावधान सी. एस. आर. के अनुच्छेद 368 में निहित है। वही नीचे पढ़ा गया हैः

"368.सेवा तब तक योग्य नहीं होती जब तक कि अधिकारी एक स्थायी प्रतिष्ठान पर एक महत्वपूर्ण पद नहीं रखता है।"

अब हम सीएसआर के अन्य प्रासंगिक अनुच्छेदों पर आते हैं। सी. एस. आर. का अनुच्छेद 370 इस प्रकार हैः

"

370. उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन निरंतर अस्थायी या स्थानापन्न सेवा के बाद उसी या किसी अन्य पद पर पुष्टिकरण बिना किसी रुकावट के अर्हता प्राप्त करेगा सिवाय इसके कि-

i) एक गैर-पेंशन योग्य प्रतिष्ठान में अस्थायी या कार्यवाहक सेवा की अवधि,

(ii) कार्य-प्रभारित प्रतिष्ठान में सेवा की अवधि, और

iii) आकस्मिकताओं से भुगतान किए गए पद में सेवा की अवधि।

इस प्रकार, सीएसआर के अनुच्छेद 370 के खंड (ii) में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि कार्य प्रभार प्रतिष्ठान में प्रदान की गई सेवा की किसी भी अवधि को पेंशन लाभ के उद्देश्य से सेवा की अवधि के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए सेवा के लिए नहीं गिना जाना चाहिए।

सी. एस. आर. के अनुच्छेद 368 और 370 के साथ अनुच्छेद 361 का अवलोकन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सेवा तब तक योग्य नहीं है जब तक कि अधिकारी एक स्थायी प्रतिष्ठान पर एक महत्वपूर्ण पद नहीं रखता है और एक कार्य-प्रभारित प्रतिष्ठान में सेवा की अवधि पेंशन के उद्देश्य से सेवा के योग्य नहीं होगी।अंतर्निहित कारण यह है कि कार्यप्रभारित कर्मचारी किसी स्थायी प्रतिष्ठान में कोई महत्वपूर्ण पद धारण नहीं कर रहा है।

सीएसआर का एक अन्य प्रासंगिक अनुच्छेद अनुच्छेद 465 है।यह आलेख इस प्रकार है:

"465 (1):सेवानिवृत्त पेंशन एक ऐसे सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जिसे पच्चीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात या पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाती है।

(2) एक ऐसे सरकारी कर्मचारी को भी सेवानिवृत्ति पेंशन दी जाती है जिसे सरकार द्वारा पच्चीस वर्ष या उससे अधिक योग्यता सेवा पूरी करने के पश्चात सेवानिवृत्त होना आवश्यक है।

अनुच्छेद 465 उन लोगों पर लागू होता है जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति चाहते हैं, और इसी तरह का प्रावधान मौलिक नियम 56 में निहित है।

6) सीएसआर का अगला प्रासंगिक अनुच्छेद अनुच्छेद 468 है, जो निम्नानुसार हैः

"468.पेंशन की राशि जो दी जा सकती है, सेवा की अवधि से निर्धारित होती है।योग्यता सेवा की अवधि की गणना में, तीन महीने और उससे अधिक के बराबर आधे वर्ष के अंशों को पूरा हुआ आधा वर्ष माना जाएगा और योग्यता सेवा के रूप में माना जाएगा।

सीएसआर के अनुच्छेद 474 के खंड (बी) में सेवानिवृत्ति पेंशन की गणना के लिए दस साल की सेवा की आवश्यकता होती है।यदि उक्त प्रावधान को सीएसआर के अनुच्छेद 368 के साथ पढ़ा जाए, तो इसका अर्थ है स्थायी प्रतिष्ठान में बीस साल की सेवा।

7) रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी के विद्वान वकील ने 2000 की रिट याचिका (सी) संख्या 500, प्रभु नारायण और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य पर अवलम्ब रखा।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत के समक्ष दायर उक्त रिट याचिका के फैसले को पढ़ने के बाद, हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी को इस पीठ को संदर्भित प्रश्न का उत्तर देने में मदद करता हो।बल्कि, पैरा 5 के अंतिम वाक्य में, शीर्ष अदालत ने कहा है कि "यदि याचिकाकर्ताओं को अपनी सेवाओं के नियमित न होने के लिए कोई शिकायत थी, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, तो उनके लिए उचित राहत का दावा करना खुला था/है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जब तक याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित नहीं किया जाता है, तब तक हमें यह मुश्किल लगता है कि वे पेंशन का दावा कैसे कर सकते हैं।"

8) पेंशन प्राप्त करने की उत्पत्ति का संकेत सीएसआर के अनुच्छेद 361 में दिया गया है। ऐसी ही एक शर्त यह है कि रोजगार मूल और स्थायी होना चाहिए जिसे सीएसआर के अनुच्छेद 368 में दोहराया गया है। अनुच्छेद 370 (ii) में योग्यता सेवा की गणना के उद्देश्य से कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान में बिताए गए सेवा काल को शामिल नहीं किया गया है।

दिनांक 01.07.1989 का सरकारी आदेश सरकारी सेवा में अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किए बिना सेवानिवृत्त होने के बारे में बात करता है, और इसलिए उन्हें सीएसआर के अनुच्छेद 368 के मद्देनजर पेंशन लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके लिए एक कर्मचारी को स्थायी पद धारण करना आवश्यक है।

उपरोक्त जी. ओ. के पैरा 2 से संकेत मिलता है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी, अर्थात् अस्थायी कर्मचारी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि के लिए काम किया है, उन्हें उसी तरह से पेंशन लाभ दिए जाएंगे जैसे किसी स्थायी कर्मचारी को दिए जाते हैं।एक अस्थायी कर्मचारी, भले ही अस्थायी हो, स्थायी पद पर कार्यरत है, हालांकि स्थायी नहीं है।इस संदर्भ में, सरकार ने पेंशन लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अस्थायी कर्मचारियों को शामिल करना उचित समझा।एक कार्यभारित कर्मचारी किसी मूल पद पर काम नहीं कर रहा है और उसे सीएसआर के अनुच्छेद 370 के खंड (ii) के तहत विशेष रूप से बाहर रखा गया है। नतीजतन, कार्य-प्रभारित प्रतिष्ठान में प्रदान की गई अवधि को पेंशन का दावा करने के लिए शामिल नहीं किया जा सकता है।उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियम, 1961 के नियम 3 का उप नियम (8) इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है।उक्त उपनियम इस नोट के साथ अर्हक सेवा को परिभाषित करता है कि यदि कोई व्यक्ति पेंशन योग्य नौकरी में, फिर कार्य-प्रभारित प्रतिष्ठान में और उसके बाद नियमित सेवा में कार्य करता है, तो ऐसी रुकावट अयोग्यता नहीं होगी।इसी तरह का प्रावधान सी. एस. आर. के अनुच्छेद 422 में निहित है।

9) रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी की ओर से अस्थायी सरकारी कर्मचारी (सेवा समाप्ति) नियम 1975 के नियम 2 का संदर्भ दिया जाता है, जो 'अस्थायी सेवा' को परिभाषित करता है।उक्त नियम 2 के अनुसार, 'अस्थायी सेवा' का अर्थ उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन किसी अस्थायी पद पर स्थानापन्न या मूल सेवा या स्थायी पद पर स्थानापन्न सेवा से है।1975 के ये नियम कार्य-प्रभारित कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं।अस्थायी सरकारी कर्मचारी (सेवा समाप्ति) नियम 1975 के नियम 4 के खंड (डी) में प्रावधान है कि ये नियम कार्य-प्रभारी प्रतिष्ठान में सेवारत कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं।हमारी राय में, नियमितीकरण से पहले कार्य-प्रभार स्थापना में प्रदान की गई सेवा

नियमित सेवा के प्रयोजनों के लिए अस्थायी सेवा नहीं है।यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि बिना पद के कोई भी व्यक्ति इसे अस्थायी कर्मचारी या स्थायी कर्मचारी के रूप में धारण नहीं कर सकता है।हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम सुरेश कुमार (1996) 8 उच्चतम न्यायालय के मामलों 562 के पैरा 4 में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि कार्य-प्रभारी कर्मचारी अस्थायी और तत्काल प्रकृति के कर्तव्यों का पालन करते हैं जब तक कि काम मौजूद है (किसी विशेष परियोजना में)।हमारी राय में, केवल इसलिए कि एक कार्य-प्रभारित कर्मचारी एक के बाद एक परियोजनाओं में लगा हुआ था, स्थायी पद के बिना उसकी सेवाएँ नियमित नहीं हो जातीं।

10) मैसूर राज्य बनाम. एस. वी. नारायणप्पा, ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 1071: (1967) 1 एससीआर 128, में शीर्ष अदालत ने माना है कि 'नियमित' या 'नियमितीकरण' शब्द का अर्थ 'स्थायित्व' नहीं है।

नियमितीकरण के पश्चात भी, सेवा में पुष्टि की आवश्यकता हो सकती है।इस विचार को सर्वोच्च न्यायालय ने बी. एन. नागराजन बनाम कर्नाटक राज्य, ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1676 मामले में फिर से दोहराया : (1979) 4 एस. सी. सी. 507।सा होने पर, हमारी राय में, सरकारी आदेश दिनांक 01.07.1989 में प्रयुक्त शब्द 'एनआईवाई अमित' (नियमित) केवल नियमित सेवा में अस्थायी कर्मचारियों को संदर्भित करता है, जिनकी पुष्टि की जानी बाकी है।

11) फाइनेंशियल हैंड बुक, खंड VI के पैरा 669 में प्रावधान है कि कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान के सदस्य उसमें उल्लिखित शर्तों को छोड़कर पेंशन के हकदार नहीं हैं जैसे कि दुर्घटनाओं आदि में घायल होने के मामले में।

12) हमारी सुविचारित राय में, दिनांक 01.07.1989 का सरकारी आदेश पेंशन लाभ के प्रयोजनों के लिए नियमित पद पर केवल एक अस्थायी कर्मचारी की स्थिति को एक पुष्टि कर्मचारी के रूप में मान्यता देता है, जैसा कि ऊपर उद्धृत सरकारी आदेश के पैरा 1 से स्पष्ट है, जिसमें बताया गया है कि कई अस्थायी सरकारी कर्मचारी अपनी सेवाओं की पुष्टि हुए बिना ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं और सीएसआर के अनुच्छेद 368 में उल्लिखित शर्तों के कारण पुष्टि नहीं होने के कारण वे पेंशन से वंचित हो जाते हैं। ऐसे अस्थायी कर्मचारियों की कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उन्हें पेंशन के प्रयोजनों के लिए पक्का कर्मचारी माना जाता है।

सरकारी आदेश में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि यह कार्य प्रभारित कर्मचारियों पर लागू होता है जो न तो अस्थायी सरकारी कर्मचारी हैं और न ही स्थायी कर्मचारी हैं।1 जुलाई 1989 का सरकारी आदेश, ऊपर उद्धृत सीएसआर के अनुच्छेद 370 के खंड (ii) में कहीं भी हस्तक्षेप नहीं करता है।

13) ऊपर चर्चा किए गए कारणों से, हम खण्ड पीठ द्वारा संदर्भित प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हैं, और 2010 की विशेष अपील संख्या 225, यूपी राज्य और अन्य बनाम पीताम्बर दत्त सनवाल (रिट याचिका संख्या 843 (एस/एस) 2003 से उत्पन्न) में इस अदालत की खण्ड पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण, हमारी राय में, कानून की सही व्याख्या पर आधारित नहीं है।

(प्रफुल्ल सी. पंत, न्यायाधीश) 08.10.2010

मैं सहमत हूँ।

(तरुण अग्रवाल, न्यायाधीश) 06.01.2011